रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2013/चैत्र 14, 1935
No. 96] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2013/CHAITRA 14, 1935

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2013

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2013

(2013 का सं. 1)

फा.सं.3-1/संशो./संयो.विनि./2013/सीडी/सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2013 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 में, —

(1) अनुसूची 1 में, —

(क) प्रवर्ग (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रवर्ग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

" (1क) किसी अर्जनकर्ता या उसके समूह द्वारा किसी उद्यम के अतिरिक्त शेयरों या मताधिकारों का अर्जन, जिसके परिणामस्वरूप किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे उद्यम के पांच प्रतिशत (5%) से अधिक शेयरों या मताधिकारों का सकल अर्जन नहीं होता है, जहां अर्जनकर्ता या उसका समूह, अर्जन से पूर्व, पहले से ही उद्यम के पच्चीस प्रतिशत (25%) या अधिक शेयर या मताधिकार धारण करता है किन्तु वह ऐसे अर्जन से पूर्व या उसके पश्चात् उद्यम के पचास प्रतिशत (50%) या अधिक शेयर या मताधिकार धारण नहीं करता है : —

परंतु यह कि ऐसे अर्जन के परिणामस्वरूप अर्जनकर्ता या उसका समूह ऐसे उद्यम के एकमात्र या संयुक्त नियंत्रण का अर्जन नहीं करता है ।";

(ख) प्रवर्ग (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रवर्ग रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) कारबार के साधारण अनुक्रम में स्टॉक व्यापार, कच्ची सामग्रियों, भंडारों और स्पेयरों, व्यापार प्राप्यों और अन्य समान चालू आस्तियों का अर्जन ।";

(ग) प्रवर्ग (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रवर्ग प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) किसी एक व्यक्ति या उद्यम द्वारा समान समूह में किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम के शेयरों या मताधिकारों का अर्जन, सिवाय ऐसे मामलों के जहां अर्जित उद्यम संयुक्त रूप से ऐसे उद्यमों द्वारा नियंत्रित है जो उस समूह का भाग नहीं हैं ।

(घ) प्रवर्ग (8क) का लोप किया जाएगा ;

(ङ) प्रवर्ग (9) के स्थान पर निम्नलिखित प्रवर्ग रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(9) दो उद्यमों का विलयन या समामेलन, जहां दोनों में से किसी एक उद्यम के पास दूसरे उद्यम के 50 प्रतिशत से अधिक शेयर या मताधिकार हैं और/या ऐसे उद्यमों का विलयन या समामेलन, जिनमें ऐसे उद्यमों में से प्रत्येक उद्यम के 50 प्रतिशत शेयर या मताधिकार समान समूह के भीतर के उद्यम (उद्यमों) द्वारा धारण किए जाते हैं :

परंतु यह कि इस संव्यवहार के परिणामस्वरूप संयुक्त नियंत्रण या एकमात्र नियंत्रण का अंतरण नहीं होता है ।"

स्मिता झिंगरन, सचिव

[विज्ञा. 3/4/असा./187-एम/13]

टिप्पण : मूल विनियमों को अधिसूचना सं.फा.सं.1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/सीसीआई द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था । तत्पश्चात उन्हें अधिसूचना सं.फा.सं.3-1/संशोधन/संयोजन विनियम/2012/सीडी/सीसीआई द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था ।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2013

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013

(No. 1 of 2013)

F.No.3-1/Amend/Comb. Regl./2013/CD/CCI.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011,—

(1) in Schedule I,—

(a) after category (1), the following category shall be inserted, namely:—

"(1A) An acquisition of additional shares or voting rights of an enterprise by the acquirer or its group, not resulting in gross acquisition of more than five per cent (5%) of the shares or voting rights of such enterprise in a financial year, where the acquirer or its group, prior

to acquisition, already holds twenty five per cent (25%) or more shares or voting rights of the enterprise, but does not hold fifty per cent (50%) or more of the shares or voting rights of the enterprise, either prior to or after such acquisition:

Provided that such acquisition does not result in acquisition of sole or joint control of such enterprise by the acquirer or its group.";

(b) for category (5), the following category shall be substituted, namely:—

"(5) An acquisition of stock-in-trade, raw materials, stores and spares, trade receivables and other similar current assets in the ordinary course of business.";

(c) for category (8), the following category shall be substituted, namely:—

"(8) An acquisition of shares or voting rights or assets, by one person or enterprise, of another person or enterprise within the same group, except in cases where the acquired enterprise is jointly controlled by enterprises that are not part of the same group.";

(d) category (8A) shall be omitted.;

(e) for category (9), the following category shall be substituted, namely:—

"(9) A merger or amalgamation of two enterprises where one of the enterprises has more than fifty per cent (50%) shares or voting rights of the other enterprise, and/or merger or amalgamation of enterprises in which more than fifty per cent (50%) shares or voting rights in each of such enterprises are held by enterprise(s) within the same group:

Provided that the transaction does not result in transfer from joint control to sole control.".

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT.-3/4/Exty./187-M/13]

Note:—Principal Regulations published vide Notification No. F. No. 1-1/Combination Regulations/2011-12/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th May, 2011. Subsequently amended vide notification No. F. No. 31/ Amend/Comb.Regl./ 2012/CD/CCI published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd February, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.